

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक ६१ /एफ-७-७२/३१/एस-२/२०२१,
प्रति,

अटल नगर, दिनांक ०८/०२/२०२२

मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा काछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- सरगुजा जिले के विकासखण्ड—अंबिकापुर के अंतर्गत जोगी बांध स्टापड़ेम कम काजवे एवं नहर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- प्र.अ.का पत्र क्रमांक—५०/बो.प्र./प्रशा.स्वी./२०२१/४७६२, दिनांक २८.०६.२०२१.

—००—

राज्य शासन एतद द्वारा सरगुजा जिले के विकासखण्ड—अंबिकापुर के अंतर्गत जोगी बांध स्टापड़ेम कम काजवे एवं नहर निर्माण कार्य हेतु ₹.२६३.६० लाख (रुपये दो करोड़ तिरसठ लाख साठ हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना से पेयजल निस्तारी, भू—जल संवर्धन एवं कृषकों द्वारा स्वयं के साधन से १२५ हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है। त्रुटिवश बजट में नहर निर्माण अंकित हो गया है, वास्तव में योजना अंतर्गत नहर निर्माण की आवश्यकता नहीं है।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका २.००६ के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—४१ लघु सिंचाई निर्माण कार्य, ४७०२ लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०२}—भू—तल जल, ०१०२ अनुसूचित जनजाति उपयोजना (५०५९) एनीकट/स्टॉपड़ेम निर्माण #९७ निर्माण कार्य, ००३ बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होंगा।
6. छ.ग.शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के वित्त निर्देश २५/२०१२ अनुसार गठित समिति की बैठक दिनांक ०३.०१.२०२२ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

१० FEB 2022

क्रम

S.E.B
B.M
B.M

**छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशाब्द्यार**

R.P.A
०९.०२.२०२२
(प्रेमसिंह घोड़े)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
५१२१

पृ.क्र. 612 / एफ-7-72/31/एस-2/2021,

अटल नगर, दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला—सरगुजा (छ.ग.)।
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.—एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर—अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल अंबिकापुर, जिला—सरगुजा।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.—1, अंबिकापुर, जिला—सरगुजा।
15. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

SMA
07/02/2022
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
07/02/22